दां.प्रकी.(जमा.) 4275/2004

06.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री शम्भूसिंह,
जन अभियोजक श्री रामेश्वर दवे, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थीगण का तर्क है कि अभियुक्त भूरी के पास कोई भी हथियार नहीं बताया गया है और लातो मुक्को से मारपीट करना बताया गया है और मंजू के पास पत्थर होना बताया गया है मगर पत्थर से मारपीट की गई हो, नहीं बताया गया है। मृतक कमल की मृत्यु सिर पर आई चोट से हुई है जो मगन ने कमल के पहुंचाई है। इन अभियुक्तगण की उपस्थिति मात्र बताई गई है। अभियुक्तगण औरते हैं, जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगी न फरार होंगी, अत: उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में आई सभी परिस्थितियों को देखते हुए, चूंकि घातक चोटें अभियुक्तगण-प्रार्थीगण भूरी व मंजू द्वारा नहीं पहुंचाई गई है, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण भूरी पत्नी नानजी एवं मंजू पत्नी मगनलाल योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, प्रत्येक प्रार्थी बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा